भारतीय रिज़र्व बैंक और आपके दैनिक जीवन में परिवर्तन *

दुव्वुरी सुब्बाराव

सर्वप्रथम मैं इस वर्ष का दीक्षांत भाषण देने के लिए मुझे आमंत्रित करने पर गवर्नर और कुलपति सम्माननीय श्री एम.सी.भंडारे, उप कुलपति प्रोफेसर पुजारी और संबलपुर विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य तथा विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं। मुझे दिया गया यह सम्मान मेरे लिए बहुमूल्य है। उड़ीसा जैसे सुंदर राज्य और विशेष रूप से मनोहारी संबलपुर क्षेत्र में होना मेरे लिए बहुत ही आनंददायी है।

विश्व में आ रहे परिवर्तन

2. आप सब युवा स्नातकों का उपाधि के साथ पासिंग-आउट का दृश्य बहुत प्रसन्नता प्रदान कर रहा है। इस दृश्य ने मुझे अपने महाविद्यालयीन दिनों में पहुंचा दिया है। बेशक हमारा समय आग की खोज और आइ-पॉड के आविष्कार के बीच का था। वह समय काफी भिन्न था। हमारे फोन तार वाले थे, कॅमेरा फिल्म वाला था और हमारे इंजीनियर गणना के लिए स्लाइड रुल प्रयोग में लाते थे। संदेश भेजने का जो एकमात्र रास्ता हम जानते थे वह था लिफाफे पर स्टैम्प चिपकाना; और प्रतिलिपि बनाने का एकमात्र रास्ता कार्बन पेपर के प्रयोग का था। और यदि हम वेब देखना चाहते थे तो हम माउस पर क्लिक नहीं करते थे बल्कि जाल किसी कोने में दिख जाता था। विश्व और साथ ही भारत में परिवर्तन पिछले कुछ दशकों में आये हैं।

उड़ीसा: तब और अब

3. इन परिवर्तनों का काफी अच्छा प्रभाव हुआ है। उदाहरण के लिए उड़ीसा को ही देख लीजिए। 1970 में, उड़ीसा की साक्षरता दर मात्र 26 प्रतिशत थी जो कि देश की तुलना में बहुत पीछे थी। आज यहां की साक्षरता दर 65 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत के करीब है और इसमें महिला साक्षरता दर में भी उछाल आया है। बाल-मृत्यु दर 1970 और 2010 के बीच आधे से भी अधिक कम हो गई है किंतु यह अब भी 53 प्रति हजार सजीव जन्म की तुलना में पीछे है। आर्थिक मानदंडों के अनुसार भी काफी प्रगति हुई है। पिछले 40 वर्षों में परिचित विकास की प्रवृत्ति के चलते, राज्य के सकल देशी उत्पाद में कृषि का हिस्सा कम हुआ है और उद्योगों के हिस्से में वृद्धि हुई है। प्रति बैंक शाखा की औसत जनसंख्या 1970 के 1,10,000 से घटकर 2010 में 14,000 के राष्ट्रीय औसत पर आ गई। 1970 में उड़ीसा की मात्र 8 प्रतिशत जनता कस्बों और शहरों में रहती थी जिससे भारत में यह न्यूनतम शहरीकरण वाला राज्य था। अगले 40 वर्षों में शहरीकरण लगभग दोगुना हो गया, हालांकि यह अब भी राष्ट्रीय औसत से कम ही है।

4. आज उड़ीसा देश के अति तेजी से औद्योगीकृत हो रहे राज्यों में से एक है जहां इस्पात, ऐलुमिनियम, क्रोम, विद्युत, वस्त्र, हस्तशिल्प और अनेक अन्य क्षेत्रों के बड़े, मझौले और लघु उद्यम हैं। उड़ीसा विदेशी निवेश को भी बड़ी मात्रा में आकर्षित कर रहा है और यदि इसका आर्थिक रूप से अच्छा उपयोग किया जाए तो इससे रोजगार के सृजन, गरीबी निर्मूलन में और समावेशक वृद्धि हो सकती है।

संबलपुर विश्वविद्यालय

5. पिछले चार दशकों में उड़ीसा में और भारत में जो परिवर्तन आये हैं वे उल्लेखनीय हैं। मैं जानता हूं कि संबलपुर विश्वविद्यालय के अनेक भूतपूर्व छात्रों ने इस उल्लेखनीय रूपांतरण में योगदान दिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के मेरे कुछ सहकर्मियों ने यहां अध्ययन किया है और रिज़र्व बैंक में ऐसे अनेक स्टाफ सदस्य हैं जो इस विश्वविद्यालय की उपज हैं। इसलिए 2011 की स्नातकीय श्रेणी के बाद अब आप अपने भविष्य निर्माण की ओर बढ़ेंगे जिसके लिए मैं आप सब को बधाई देता हूं।

परिवर्तन लाना

6. हमारे देश में मेरे समय और आपके समय के बीच हुए इस तेज परिवर्तन, जैसा कि मैंने पहले बताया है, ने हमारे जीवन के लगभग हर रूप को प्रभावित किया है। किंतु ऐसी स्थिति में भी कुछ बातें नहीं बदली हैं - उदाहरण के लिए, जीवन-मूल्य जिन्हें हमारे जीवन और सोच का मार्गदर्शन करना चाहिए।

7. आज का दिन आपके जीवन का मील का पत्थर है। आप अपने गृह और अपने महाविद्यालय का आश्रय छोड़कर वास्तविक जगत में एक जिम्मेदार वयस्क के रूप में प्रवेश करेंगे। आप अपने लिए चाहे जो पेशा चुने, मेरा विश्वास है कि संबलपुर विश्वविद्यालय में आपके

* संबलपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में डॉ.डी.सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 24 फरवरी 2011 को दिया गया दीक्षांत भाषण।

अध्ययन ने आपको ऐसा समर्थ बना दिया है कि आप प्राप्त अवसरों का लाभ ले पाएंगे और अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। आप चाहे जो पेशा चुन लीजिए, किंतु एक बात याद रखिए कि आप समाज में "परिवर्तन" ला सकते हैं और आपको ऐसा करना चाहिए। मैं जब पीछे मुड़कर 35 वर्ष पहले की बात याद करता हूं जब मैं सिविल सर्विस में था, तब मैं यह पाता हूं कि एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक भलाई असंख्य व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा किये गये प्रयास का परिणाम हैं जिन्होंने परिवर्तन लाया। और समाज के इस ऋण को उतारने का आपके पास भी एक ही रास्ता है कि आप भी कुछ विशेष कार्य करें।

8. "परिवर्तन लाना" वस्तुत: आज के मेरे भाषण का मुख्य विषय है। विशेष रूप से, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका पिछले ढाई से अधिक वर्षों से नेतृत्व करने का मुझे सौभाग्य मिला है, किस प्रकार से भारतीयों के दैनिक जीवन में परिवर्तन लाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक - एक रहस्यमयी संस्था?

9. जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था, तब मुझे याद आया कि बहुत से लोग, यहां तक कि शिक्षित लोग भी, ठीक से नहीं जानते कि रिज़र्व बैंक क्या कार्य करता है और ये कार्य महत्त्वपूर्ण क्यों हैं। कई लोग इसे एक रहस्यमयी संस्था समझते हैं, एक प्रकार की एकाश्मक - जो ऐसा अस्पष्ट कार्य करता है जिसका जनता के प्रतिदिन के जीवन से वास्तविक संबंध नहीं है। अन्य लोग सोचते हैं कि रिज़र्व बैंक का कार्य मात्र नोट छापना है और वे इस बात का आश्चर्य करते हैं कि संसाधनों की कमी की स्थिति में हम ढेर सारे नोट क्यों नहीं छापते। कुछ लोग सोचते हैं कि गवर्नर दिन भर कार्यालय में बैठकर करेंसी नोटों पर हस्ताक्षर करते रहते हैं और यह कि नोटों की कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि गवर्नर की हस्ताक्षर करने की गति बहुत धीमी है।

10. वास्तविकता इससे एकदम भिन्न है। बेशक हम मुद्रा की छपाई और वितरण करते हैं, किंतु हम इसके अलावा भी बहुत से कार्य करते हैं। हम देश के मौद्रिक प्राधिकारी हैं। हम बाह्य क्षेत्र के द्वारपाल हैं। हम बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और वित्तीय बाजार के घटकों का विनियमन और पर्यवेक्षण करते हैं ताकि बैंकों में स्थित आपका धन सुरक्षित रहे और आर्थिक गतिविधियों के सृजन में उनका उपयोग किया जा सके। हमारे विनियमन में भुगतान और निपटान प्रणाली भी शामिल है जिसका लक्ष्य वित्तीय लेनदेनों को सुरक्षित, मजबूत और कुशल बनाना है। रिज़र्व बैंक केंद्रीय बैंक भी है - अर्थात् यह बैंकों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों का बैंकर है। इन सब में जो सर्वोपरि और महत्त्वपूर्ण है वह यह कि देश के आर्थिक विकास में भी रिज़र्व बैंक की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है और यह प्रभावी सामाजिक विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य करता है।

11. संक्षेप में, यही रिज़र्व बैंक के दायित्वों का दायरा और विविधता है। और जो कार्य हम करते हैं उससे देशभर की जनता बाजार में भुगतान करते समय मूल्यों, बैंकों में रखी उनकी जमाराशि पर प्राप्त ब्याज, बैंकों से उधार लेते समय प्रभारित किये जाने वाले ब्याज से और साथ ही सरकार द्वारा सड़कों, पाठशालाओं और अस्पतालों पर किस प्रकार व्यय किया जाता है इससे जनता के प्रतिदिन का जीवन प्रभावित होता है। आज मैं अपनी टिप्पणियों में रिज़र्व बैंक के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा; मैं इसके कुछ मुख्य दायित्वों को स्पष्ट करूंगा, हमारे सामने आने वाली नीतिगत चुनौतियों से आपको अवगत कराऊंगा, और इन सब के अलावा आपको यह समझाऊंगा कि हम किस प्रकार परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करते हैं।

मुद्रा का उत्पादन और वितरण

12. मैं मुद्रा प्रबंधन - एक ऐसा कार्य जिससे अधिकतर लोग परिचित हैं -से शुरुआत करना चाहूंगा। वस्तुत: मुद्रा जारी करने का विशेषाधिकार केंद्रीय बैंकों को परिभाषित करने वाली विशेषता बन गया। आपने यह देखा होगा कि आपके पास जो नोट होता है उसपर रिज़र्व बैंक के गवर्नर का वचन होता है कि उस पर दिए गए मूल्य का भुगतान किया जाएगा। पुनरुक्तिपूर्ण लगने पर भी, यह वचन महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इससे रिज़र्व बैंक पर यह दायित्व आ जाता है कि वह रुपये के मूल्य की रक्षा करे।

13. हमारे लिए यह निर्णय लेना बहुत महत्त्वपूर्ण होता है कि कितनी मुद्रा छपवायी जाए। मुद्रा की पर्याप्त छपाई आवश्यक होती है ताकि गंदे और कटे-फटे नोटों को प्रतिस्थापित किया जा सके। इसके अलावा, आर्थिक विकास की जरूरत पूरी करने के लिए भी अतिरिक्त मुद्रा छपवानी पड़ती है। वृद्धि को सुकर बनाने के लिए आवश्यक मुद्रा विस्तार अनेक चरों पर निर्भर करता है जिनमें वृद्धि दर, मुद्रास्फीति दर, मुद्रा की वृद्धि-लोच और मुद्रा की गति शामिल है। यह एक जटिल सूत्र है, किंतु समझने योग्य महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मुद्रा छपाई की आवश्यक मात्रा प्रतिस्थापना की जरूरत और आर्थिक वृद्धि की जरूरत के अनुसार निर्धारित होती है।

14. छपवायी जाने वाली मुद्रा की राशि प्रथम दृष्टया सूत्र-आधारित होने के बावजूद, रिज़र्व बैंक मुद्रा को ऐसे ही जारी नहीं कर सकता। जो मुद्रा हम जारी करते हैं वह रिज़र्व बैंक की देयता होती है। अत: यह आस्तियों से समर्थित होनी चाहिए। पहले रिज़र्व बैंक भी स्वर्ण मानक के सिद्धांत का एक भाग था - अर्थात यह भावना कि मुद्रा का निर्गम केंद्रीय बैंक द्वारा धारित स्वर्ण से समर्थित होना चाहिए। वस्तुत: मूल

रिज़र्व बैंक अधिनियम में आनुपातिक आरक्षित निधि की व्यवस्था थी जिसके अनुसार, कम-से-कम 40 प्रतिशत नोट-निर्गम स्वर्ण बुलियन और स्टर्लिंग से समर्थित होना चाहिए। अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह रिज़र्व बैंक भी स्वर्ण मानक से अलग हो गया है और अब नोट जारी करने के लिए आस्ति-समर्थन में रिज़र्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण सहित देशी और विदेशी दोनों प्रतिभूतियां शामिल हैं।

15. हमारे पास चार मुद्रणालय हैं जहां मुद्रा की छपाई होती है। दो मुद्रणालय - एक महाराष्ट्र के नाशिक में और दूसरा मध्य प्रदेश के देवास में - सरकार के नियंत्रण में हैं; शेष दो मुद्रणालय - कर्नाटक के मैसूर में और पश्चिम बंगाल के सालबोनी में- रिज़र्व बैंक के नियंत्रण में हैं। इन चार मुद्रणालयों में छापी गयी मुद्रा रिज़र्व बैंक के 20 क्षेत्रीय कार्यालयों और देशभर के वाणिज्य बैंकों में स्थित 4,200 मुद्रा तिजोरियों के माध्यम से वितरित की जाती है।

16. हम छपाई की क्षमता के मामले में आत्म-निर्भर हैं किंतु हम मुद्रा छपाई के लिए आवश्यक पेपर का आयात करते हैं। इसे हल करने के लिए, हम मैसूर में एक आधुनिक बैंकनोट पेपर मिल की स्थापना कर रहे हैं जिसकी क्षमता 12,000 एमटी प्रति वर्ष होगी और इससे हमारी आयात की मांग आधे से अधिक कम हो जाएगी।

17. अब तक, मुद्रा प्रबंधन का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू जालसाजी रोकने के लिए सुरक्षा विशेषताओं को जोड़ना रहा है। लोगों को इन विशेषताओं की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे असली-नकली की पहचान कर सकें। यह उस जागरूकता अभियान के लिए प्रोत्साहन है जो कि रिज़र्व बैंक ने लोगों को सुरक्षा विशेषताओं के संबंध में शिक्षित करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शुरू किया है।

18. यहां हम एक दुविधा का सामना करते हैं कि जब हम जागरूकता अभियान चलाते हैं तब जालसाजों को भी यह जानकारी अपने आप मिल जाती है। जालसाजी रोकने के लिए हम सुरक्षा विशेषताओं को तकनीकी रूप से जटिल और नकल करने की दृष्टि से काफी महंगा बना देते हैं और उनमें कुछ ऐसी अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताएं शामिल करते हैं जिनका पता कुछ विशेष साधनों से ही लगाया जा सकता है।

19. रिज़र्व बैंक "स्वच्छ नोट" नीति के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम गंदे और कटे-फटे नोटों को कुछ नियमों के तहत स्वच्छ और नये नोटों से बदलकर देते हैं। अपनी स्वच्छ नोट नीति के अनुपालन में और नोटों की जालसाजी रोकने के लिए, हमने यह निर्धारित किया कि प्रति दिन 50 लाख रुपये से अधिक की नकदी प्राप्त करने वाली सभी बैंक शाखाएं 31 मार्च 2011 तक नोट-छंटाई मशीन लगवाएं ताकि उच्च मूल्यवर्ग के हर नोट को संचलन में फिर से रखे जाने से पहले उसकी जांच हो जाए कि वह संचलन में आने लायक और असली है। इसके अलावा, हमने बैंकों को यह सुनिश्चित करने का अनुदेश दिया है कि उनके द्वारा एटीएम के माध्यम से जारी किए जाने वाले नोटों की भी पूर्व जांच करके यह सुनिश्चित किया जाए कि वे असली और स्वच्छ हैं।

20. लागत और टिकाऊपन मुद्रा प्रबंधन के महत्त्वपूर्ण पहलू हैं। हमारी अर्थव्यवस्था व्यापक नकदी वाली है; वस्तुत: विश्व में चीन के बाद हम ही मुद्रा के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता हैं। इतनी भारी मात्रा में मुद्रा के उत्पादन का व्यय भी भारी होता है। इस व्यय की कटौती का एक विकल्प यह है कि कागजी मुद्रा को प्लास्टिक मुद्रा से बदल दिया जाए जैसा कि सिंगापुर और आस्ट्रेलिया में पहले ही किया जा चुका है। हम यह प्रयास करने की योजना बना रहे हैं कि प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ में 10 रुपये मूल्यवर्ग के प्लास्टिक नोट भुवनेश्वर कार्यालय सहित हमारे पांच क्षेत्रीय कार्यालयों से वितरित किए जाएं। प्रायोगिक चरण के दौरान, हमें न केवल तुलनात्मक लागत का बल्कि पेपर नोट की तुलना में प्लास्टिक नोट की रिसायक्लिंग और डिसपोजल से जुड़ी कार्बन फुटप्रिंट का भी अध्ययन करना होगा। यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग नियमित किया जाएगा।

मौद्रिक नीति

21. एक सबसे बड़ा केंद्रीय बैंकिंग कार्य मौद्रिक नीति का प्रबंधन है। मौद्रिक नीति बनाते समय रिज़र्व बैंक के पास तीन मुख्य दिशानिर्देश होते हैं: मूल्य स्थिरता बनाए रखना, उत्पादक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण-प्रवाह सुनिश्चित करके आर्थिक वृद्धि में सहायता करना और वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा करना। मौद्रिक नीति विशेष रूप से दो चरों - मुद्रा का मूल्य (नीतिगत ब्याज दरें) और मुद्रा की मात्रा (चलनिधि) के माध्यम से परिचालित की जाती है।

22. रिज़र्व बैंक का रुख इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि हम मुद्रा का मूल्य और मात्रा किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। हम मुद्रा का मूल्य निर्धारित करने के लिए अल्पावधि नीतिगत ब्याज दरें निर्धारित करते हैं जो चलनिधि समायोजन सुविधा के दायरे की उच्चतम और निम्नतम सीमा निर्धारित करती हैं। ऊपरी छोर पर रिपो दर होती है - वह ब्याज दर जो कि हम हमसे लिए जाने वाले एक दिवसीय उधार पर बैंकों पर प्रभारित करते हैं और नीचे की ओर रिवर्स रिपो दर होती है - वह ब्याज दर जो कि हम बैंकों द्वारा हमारे पास रखी गई जमाराशि के लिए उन्हें भुगतान करते हैं। एक दिवसीय रिपो और रिवर्स रिपो दरों में घट-बढ़ करके हम मौद्रिक संप्रेषण कही जाने वाली प्रक्रिया के

माध्यम से अर्थव्यवस्था की दीर्घावधि ब्याज दरों को प्रभावित करने की आशा करते हैं।

23. एक अन्य चर - मुद्रा की मात्रा - मुख्यत: दो साधनों से नियंत्रित की जाती है। पहला है नकदी आरक्षित निधि अनुपात, बैंकों की निवल मांग और मीयादी देयताओं का अनुपात जो कि उन्हें रिज़र्व बैंक में रखना आवश्यक है। दूसरा ओएमओ (खुले बाजार के परिचालन) है जिसके द्वारा रिजर्व बैंक प्रणाली से मुद्रा निकालने या प्रणाली में मुद्रा की मात्रा बढ़ाने के लिए खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करता है।

24. मुद्रा आपूर्ति को कम-ज्यादा करने का अन्य मार्ग विदेशी मुद्रा बाजार में रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप का है। जब रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय (विक्रय) करता है, तब वह प्रणाली में (से) चलनिधि की समतुल्य राशि जारी (अवशोषित) करता है। ऐसा कहने के बाद, मुझे यह भी कहना होगा कि हम विदेशी मुद्रा बाजार में चलनिधि प्रबंधन के प्रयोजनार्थ हस्तक्षेप नहीं करते; हम विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता रोकने के लिए हस्तक्षेप करते हैं और चलनिधि पर होने वाला कोई भी प्रभाव प्रासंगिक उप-उत्पाद होता है।

25. निसंदेह, मूल्य स्थिरता और समष्टिआर्थिक स्थिरता अनिवार्य रूप से वित्तीय स्थिरता की गारंटी नहीं देती। वस्तुत:, यह हाल के संकट के मुख्य सबकों में से एक है। केंद्रीय बैंकों के लिए संकटोत्तर नीतिगत दुविधा, और उसमें से एक जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक और नीतिगत चर्चाओं में हावी है, वह है: क्या वित्तीय स्थिरता मौद्रिक नीति की परिधि में होनी चाहिये या इस पर विनियामक नीति के लक्ष्य के रूप में कार्रवाई करनी चाहिए? भारत में, हमने इस सिद्धांत को कभी नहीं माना। हमने मौद्रिक नीतिगत लक्ष्यों की सहायता के लिए पारंपरिक रूप से बैंक ऋणों संबंधी जोखिम भारांकों और प्रावधानीकरण मानदंडों को प्रयोग में लाया है। वस्तुत: संकट से तुलनात्मक रूप से कम हानि सहकर बाहर निकलने में भारत के सफल होने का एक मुख्य कारण यह था कि रिज़र्व बैंक "हवा के विपरीत झुक गया था" और स्थावर संपदा जैसे क्षेत्रों की ओर का ऋण प्रवाह नियंत्रित करने के लिए पूर्वोपाय किए गए जहां जोखिम के चिह्न दिख रहे थे।

26. रिज़र्व बैंक अपने मौद्रिक रुझान की समीक्षा निर्धारित नीतिगत समीक्षा के माध्यम से प्रत्येक तिमाही में करता है। इसके लिए मौद्रिक नीति के तीन लक्ष्यों - वृद्धि, मूल्य स्थिरता और वित्तीय स्थिरता - के बीच तुलनात्मक रूप से अधिक प्राथमिकता निर्धारित करनी होती है और उस आधार पर यह निर्धारित करना होता है कि हमारे नीतिगत चर बदल सकते हैं या नहीं और किस प्रकार बदलने चाहिए। निर्धारित तिमाही और तिमाही-मध्य की समीक्षाओं के बावजूद, हमारा यह अधिकार सुरक्षित है कि हम उभरती समष्टिआर्थिक स्थिति के प्रतिसाद में अपना नीतिगत रुझान कभी भी बदल सकते हैं।

27. संकट के पश्चात हमारी सबसे बड़ी चुनौती वृद्धि की मांगों और मुद्रास्फीति के बीच तनाव को संभालने की रही है। हम लोग अनेक देशों से पहले संकट से बाहर निकलने में सफल रहे हैं, इसके बावजूद मुद्रास्फीति की समस्या भी हमारे यहां दूसरों की तुलना में शीघ्र पहुंची है। जो तनाव हमें संभालना है, वह यह है कि आर्थिक वृद्धि के लिए कम ब्याज दर की स्थिति आवश्यक है जबकि मुद्रास्फीति प्रबंधन के लिए अधिक ब्याज दर की स्थिति आवश्यक है। इस तनाव को संभालने में, हम अत्यधिक सचेत होते हैं कि मुद्रास्फीति एक ऐसा प्रतिगामी कर होता है जो कि निर्धनों को सबसे अधिक प्रभावित करती है क्योंकि बढ़ते मूल्यों के प्रति उनकी आय का संरक्षण नहीं होता है। आपने नि:संदेह देखा होगा कि संकटोत्तर अवधि के दौरान वृद्धि-मुद्रास्फीति के मिले-जुले रूप के प्रबंधन के लिए रिज़र्व बैंक ने मार्च 2010 से सात बार नीतिगत ब्याज दरें बढ़ाई हैं। इसी समय, हम वृद्धि की सहायता के प्रति भी संवेदनशील हैं क्योंकि गरीबी कम करने के लिए आर्थिक वृद्धि आवश्यक है।

28. मौद्रिक नीति बनाना हमेशा ही एक चुनौती होती है। यह चुनौती वैश्वीकरण के युग में, जिसमें हम रहते हैं, अधिक जटिल बन गयी है। अन्य देश, विशेष रूप से प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण उन्नत देश, अपनी मौद्रिक नीति का किस प्रकार प्रबंधन करते हैं यह हमारे लिए महत्त्वपूर्ण होता है और हमारी अपनी मौद्रिक नीति बनाते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना होता है। उदाहरण के लिए, यूएस फेड की चलनिधि बढ़ाने की नीति, जो मात्रात्मक सुगमता के नाम से अधिक लोकप्रिय है, से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक पूंजी प्रवाह आ गए। इससे ईएमई की विनिमय दरों पर ऊर्ध्वमुखी दबाव आया और उनकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कम होने लगी और आस्ति मूल्य बढ़ने लगे। इन प्रवाहों के प्रभावों को संभालने के लिए ईएमई को अपनी समष्टिआर्थिक नीतियां समायोजित करनी पड़ी।

29. मुझे आशा है कि अब आपको इस बात की बेहतर समझ हो गई होगी कि रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति का आप पर व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से किस प्रकार प्रभाव पड़ता है और नीति निर्माण में हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

विनियमन और पर्यवेक्षण

30. रिज़र्व बैंक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और वित्तीय बाजारों के एक बड़े भाग का विनियामक और पर्यवेक्षक है। बाजार

प्रणाली में सभी जोखिमधारकों के हितों की रक्षा करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की दृष्टि से विनियमन महत्त्वपूर्ण है। मैं विनियमन के इन दोनों लक्ष्यों को स्पष्ट करना चाहूंगा।

31. जोखिमधारकों के हितों की रक्षा का तर्क स्वयं-स्पष्ट है। बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था में वित्तीय माध्यम होते हैं - अर्थात् बैंक बचतकर्ताओं से धन लेते हैं और उधारकर्ताओं को देते हैं और अपने व्यय पूरे करने तथा लाभ के लिए मार्जिन अपने पास रखते हैं। इससे सबका और कुल मिलाकर पूरी अर्थव्यवस्था का हित होता है। किंतु यहां यह आशंका बनी रहती है कि बैंक हद से अधिक उधार दे सकते हैं जिससे जमाकर्ताओं के हित प्रभावित हो सकते हैं। इस संदर्भ में विनियमन का कार्य यह सुनिश्चित करना होता है कि बैंक वित्तीय मध्यस्थ की अपनी भूमिका में विवेकपूर्ण सीमा के भीतर रहें।

32. वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भी विनियमन आवश्यक है। वित्तीय स्थिरता को परिभाषित करना अत्यधिक कठिन है किंतु यह वित्तीय अस्थिरता की स्थिति शीघ्र ही पहचान में आ जाती है जैसा कि हाल के संकट के समय हुआ था जब वित्तीय बाजार अवरुद्ध हो गये थे। वित्तीय अस्थिरता तब आती है जब ब्याज दर और विनिमय दर जैसे बुनियादी समष्टि चर आर्थिक मूल सिद्धांतों से दूर चले जाते हैं। हम सभी ने पाठ्यपुस्तकों में यह पढ़ा है कि पूंजीवाद का मूल आधार प्रतिस्पर्धात्मक बाजार होता है। हमने यह भी सीखा है कि प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की धारणा की सटीकता तक वास्तविक विश्व में नहीं पहुंचा जा सकता जिससे बाजार विफल हो जाते हैं। माल और सेवाओं के बाजार की तुलना में वित्तीय बाजार अधिक संवेदनशील होते हैं जिसका कारण सूचना की भिन्नता, नैतिक जोखिम, प्रतिकूल चुनाव और यह समस्या कि आपके पास क्या उपलब्ध होता है। जब वित्तीय बाजार विफल होते हैं तब वित्तीय स्थिरता बाधित हो जाती है और ऐसे में आर्थिक वृद्धि और कल्याण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विनियमन का प्रयोजन वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय बाजारों को विफल होने से बचाने के लिए रक्षोपाय करना है।

33. बैंकों जैसी वित्तीय संस्थाएं गैर-वित्तीय संस्थाओं से भिन्न हैं और वित्तीय बाजार गैर-वित्तीय बाजारों से भिन्न हैं। एक महत्त्वपूर्ण अंतर यह है कि वित्तीय संस्थाएं आपस में जुड़ी रहती हैं और प्रणाली के किसी एक भी भाग में गड़बड़ी होने से उसका असर पूरी प्रणाली में तेजी से फैलता है। उदाहरण के लिए, किसी बैंक पर पैसा निकालने के लिए यदि लोग टूट पड़ते हैं तो अन्य बैंकों में भी यह स्थिति आ सकती है जिससे यह संसर्ग फैलकर और गहन हो सकता है। इसके विपरीत, किसी विनिर्माण कंपनी जैसी कोई गैर-वित्तीय संस्था के विफल होने पर उसके इक्विटी धारक और ऋणदाता प्रभावित हो सकते हैं, किंतु इससे अन्य लोग प्रभावित नहीं होंगे।

34. हम बैंक विनियमन का कार्य अनेक साधनों के माध्यम से करते हैं। इन साधनों में बैंकों का लाइसेंसीकरण और शाखा नेटवर्क के माध्यम से उनका विस्तार, उनका कारपोरेट गवर्नेन्स ढांचा, उनके द्वारा रिज़र्व बैंक के पास अनिवार्यत: रखी जाने वाली आरक्षित निधि, उनके द्वारा अनिवार्यत: अपने पास रखी जाने वाली पूंजी का प्रकार और मात्रा और उनके द्वारा जोखिम का प्रबंधन शामिल है। यद्यपि मैंने इस अवधारणा को बैंकों के संदर्भ में स्पष्ट किया है, यह बात एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थाओं पर भी समान रूप से लागू होती है।

35. यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक हमारे विनियमों का अनुपालन करते हैं, हम आवधिक ऑन-साइट निरीक्षण करते हैं और इसके एक हिस्से के रूप में निरंतर ऑफ-साइट निरीक्षण किये जाते हैं। हम बैंकों के शीर्ष प्रबंधन के साथ आवधिक बैंठकें भी आयोजित करते हैं जिसमें उन्हें खतरों के प्रति सचेत किया जाता है और हमारी पर्यवेक्षी चिताओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। यदि बैंक विनियामक मानदंडों का अनुपालन नहीं करते, तो इस संबंध में रिज़र्व बैंक के पास अनेक पर्यवेक्षी अधिकार हैं: सचेतक या असंतोष का पत्र जारी करना, कारोबार रोकने के लिए निदेश जारी करना और वित्तीय दंड लगाना।

36. वित्तीय क्षेत्र में रिज़र्व बैंक अकेला विनियामक नहीं है। यहां अन्य विनियामक भी हैं - उदाहरण के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) जो पूंजी बाजार का विनियमन करता है, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) जो बीमा क्षेत्र का विनियमन करता है और पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) जो पेंशन क्षेत्र का विनियमन करता है।

37. बार-बार पूछा जाने वाला एक प्रश्न यह है कि क्या जमाराशियों पर देय ब्याज दर या उधारों पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर का विनियमन रिज़र्व बैंक करता है। पहले यह कार्य हम किया करते थे किंतु सुधार-प्रक्रिया के एक भाग के रूप में हमने ऐसा करना बंद कर दिया है। बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं संबंधी ब्याज दरें अब बैंकों के बीच की प्रतिस्पर्धा के बाजार-सिद्धांत पर तय होती हैं। इस समय अनिवासी भारतीय जमाराशियों और बचत बैंक खातों पर देय ब्याज दरें ही विनियमित की जाती हैं। यहां इस प्रकार का विचार भी है कि बचत बैंक खातों पर देय ब्याज दर संबंधी विनियमन हटाया जाना चाहिए। हम ऐसा करने के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और प्रतिसूचना की जानकारी देने के लिए शीघ्र ही चर्चा-पत्र प्रकाशित किया जायेगा।

38. विनियमन में लाभ और लागत दोनों हैं। अत्यधिक या अनुपयुक्त विनियमन से मध्यस्थ लागत बढ़ती है, कुशलता में बाधा आती है और नवोन्मेष प्रभावित होता है। इससे अंतरपणन भी हो सकता है जिसके द्वारा वित्तीय परिचालक परिचालनों को कम विनियमित व्यवस्था में स्थानांतरित करके कड़े विनियमन से बचने के प्रयास करते हैं। दूसरी ओर, शिथिल विनियमन से वित्तीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है और अन्यों के व्यय पर कुछ जोखिमधारकों को हानि हो सकती है।

39. वित्तीय विनियमन अत्यधिक विश्लेषणात्मक और बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए आधुनिक मॉडल और बाजार की अच्छी जानकारी आवश्यक होती है क्योंकि बहुत से जोखिम-संकेतक "तात्कालिक" नहीं होते। विनियामक को उनके प्रतिसाद में बौद्धिक रूप से सचेत होना चाहिए और शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।

40. रिजर्व बैंक और साथ ही वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों के लिए चुनौती यह होती है कि वे विनियमन की लागत और लाभ को बुद्धिमानी से संतुलित करें और यह कार्य गतिशीलता से करें क्योंकि बाजार और समष्टिआर्थिक स्थितियां लगातार बदलती रहती हैं।

बाह्य क्षेत्र का प्रबंधन

41. रिजर्व बैंक बाह्य क्षेत्र के प्रबंधन का दायित्व सरकार के साथ मिलकर पूरा करता है। इसके अधिकार विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 से प्राप्त हुए हैं जो कि पूर्ववर्ती विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1973 के स्थान पर लाया गया है।

42. अर्थव्यवस्था के सभी विविध क्षेत्रों में से शायद सबसे व्यापक सुधार बाह्य क्षेत्र में हुए हैं। 1991 से पहले विश्व में भारत सबसे बंद अर्थव्यवस्था वाला देश था, विदेशी मुद्रा विनिमय के लेनदेन पर लगभग पूरा नियंत्रण था। आज स्थिति पूर्णत: भिन्न है। अब चालू खाता लेनदेनों पर वास्तव में कोई प्रतिबंध नहीं है। कारोबारी व्यय, यात्रा, पर्यटन, विदेश में अध्ययन, चिकित्सा, आदि के लिए विदेशी मुद्रा आसानी से प्राप्त की जा सकती है। सुधारपूर्व के समय में, लगभग सभी प्रकार के आयातों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता था और आयात शुल्क बहुत अधिक था। आज मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं है और शुल्क में भी भारी कटौती की गई है।

43. हमारे उदारीकरण का विस्तार पूंजीगत क्षेत्र तक भी हुआ। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर भारत की नीति एकदम उदार और पारदर्शी है। हम विदेशी निवेश की अनुमति कुछ ही बातों को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों के लिए देते हैं। आज प्रत्येक निवासी भारतीय को अनुमति है कि उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत वह किसी भी अनुमत चालू या पूंजी खाता लेनदेन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 200,000 अमरीकी डॉलर तक की राशि ले जा सकता है। कंपनियां अपनी निवल मालियत के 400 प्रतिशत तक की राशि विदेश में संयुक्त उपक्रमों और पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनियों में निवेश कर सकती हैं।

44. भारत का चालू खाता घाटा दर्शाता है जिसका अर्थ यह है कि हम माल और सेवाओं के आयात पर निर्यात की तुलना में अधिक व्यय करते हैं। हमारे व्यय और अर्जन के बीच का यह अंतर पूंजी प्रवाहों - अर्थात विदेशी बचत से मिटाया जाना है। विकासात्मक अर्थशास्त्र के अनुसार किसी विकासशील देश के लिए चालू खाते का घाटे में रहना अनुचित नहीं है बशर्ते इस घाटे को पाटने वाली विदेशी बचत अर्थात् पूंजी प्रवाहों का उत्पादक कार्यों में प्रयोग किया जाए। पूंजी प्रवाह अनेक रूपों में आते हैं और इन्हें ऋण या इक्विटी प्रवाह या अल्पावधिक या दीर्घावधिक प्रवाहों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में हम ऋण की तुलना में विदेशी इक्विटी प्रवाहों, जैसे कि ऋणेतर प्रवाहों, को तरजीह देते हैं और साथ ही हम विदेशी संस्थागत निवेश जैसे अल्पावधि प्रवाहों की तुलना में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जैसे दीर्घावधि प्रवाहों को तरजीह देते हैं।

45. एक महत्त्वपूर्ण समस्या, वस्तुत: जो कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय स्थिति में बहुत महत्त्वपूर्ण है, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी प्रवाहों में तेजी आना है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, ईएमई के लिए उनकी निवेश आवश्यकताओं के लिए निश्चित ही पूंजी प्रवाह आवश्यक है। किंतु अवशोषण क्षमता से अधिक पूंजी मिलने से उनकी अर्थव्यवस्था पर वित्तीय और आर्थिक दोनों प्रकार से विपरीत प्रभाव पड़ता है। मैं यहां विस्तार में नहीं जाऊंगा, किंतु आपकी जानकारी में जो बात आनी चाहिये वह यह है कि अतिरिक्त प्रवाहों को संभालने का कोई आसान तरीका नहीं है। अतिरिक्त प्रवाहों को किस प्रकार संभाला जाता है, उसके अनुसार मुद्रा में वृद्धि हो सकती है - जिससे निर्यात कम प्रतिस्पर्धी बनेंगे, आस्तियों के मूल्य में वृद्धि हो सकती है, स्फीतिकारी दबाव बढ़ेंगे या ब्याज दरें बढ़ेंगी। इस समस्या को यह बात बढ़ा देती है कि इन प्रवाहों के "अचानक रुकने और लौटने" की संभावना होती है अर्थात ये अचानक अपनी दिशा बदल कर अर्थव्यवस्था से बाहर जा सकते हैं, जैसा कि संकट के दौरान हुआ, और इससे अर्थव्यवस्था की स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

46. बाह्य क्षेत्र में एक अन्य बड़ा मामला विनिमय दर का है। जिस प्रकार मुद्रास्फीति देशी अर्थव्यवस्था में रुपये की क्रय शक्ति निर्धारित

करती है, उसी प्रकार विनिमय दर बाह्य क्षेत्र में रुपये की क्रय शक्ति निर्धारित करती है। विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रय से विनिमय दर का प्रबंध करना संभव है और देश अपना व्यापार लाभ सुधारने या मुद्रास्फीति नियंत्रण जैसे आर्थिक प्रबंधन के लिए ऐसा करते हैं।

47. भारत में भी विनिमय दर एक महत्त्वपूर्ण समष्टिआर्थिक चर है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि हम अपने निर्यातों से कितना अर्जन करते हैं और हमें अपने आयातों पर कितना व्यय करने की आवश्यकता है। जब विनिमय दर बढ़ती है, तब निर्यातक प्रभावित होते हैं और वे मांग करते हैं कि विनिमय दर कम करने के लिए रिजर्व बैंक को बाजार में हस्तक्षेप करना चाहिए। किंतु हस्तक्षेप करके विनिमय दर को कम करना पूर्णत: अच्छा विकल्प नहीं है। इससे सरकार प्रभावित होती है क्योंकि इसमें सरकार को तेल और उर्वरक जैसे आयातों की सब्सिडी पर अधिक व्यय करना पड़ता है और बाह्य ऋण की चुकौती पर भी अधिक व्यय करना पड़ता है। हस्तक्षेप से स्फीतिकारी दबाव भी बढ़ सकता है जिससे सभी प्रभावित होते हैं। हमारा विश्वास है कि वैश्विक नागरिक के रूप में यह हम सभी के सामूहिक हित में होगा कि विनिमय दर को बाजार के मूल तत्वों से निर्धारित होने दिया जाये।

48. आप सभी ने संभवत: "मुद्रा युद्ध" की बात सुनी होगी - एक ऐसी स्थिति जिसमें देश व्यापार में लाभ के लिए अपनी मुद्रा का प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन करते हैं। इससे अनेक प्रकार के वैश्विक असंतुलन हो सकते हैं। रिज़र्व बैंक में हमारी नीति यह है कि हम किसी विशिष्ट विनिमय दर या दर के दायरे को लक्ष्य नहीं बनाते। हम विनिमय दर की अस्थिरता कम करने और समष्टिआर्थिक स्थिरता के व्याघातों को रोकने के लिए ही हस्तक्षेप करते हैं। वस्तुत: जी-20 कार्यसूची में एक महत्त्वपूर्ण मद यह है कि मुद्रा युद्ध को रोकने के लिए किसी करार पर पहुंचा जाये - अर्थात् एक सहमति बनाना कि बाह्य क्षेत्र के प्रबंधन के लिए किन स्थितियों में किस प्रकार के हस्तक्षेप उचित होंगे।

विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन

49. अपने देश की विदेशी मुद्रा आस्तियां और स्वर्ण भंडार का प्रबंधन रिजर्व बैंक का एक अन्य दायित्व है। आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 300 बिलियन अमरीकी डॉलर है जो कि 1991 के कुछ ही बिलियन की तुलना में अधिक है। विदेशी मुद्रा भंडार का पर्याप्त स्तर अनेक कारणों से महत्त्वपूर्ण है। विशेष रूप से, यह हमें बाह्य आघातों से बचाता है और विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है।

50. अपनी विदेशी मुद्रा का निवेश करते समय तीन सिद्धांत हमारा मार्गदर्शन करते हैं: सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिफल। अपनी निवेश नीति और व्यवहार में हम विदेशी मुद्रा आस्तियों का उच्च स्तर बनाये रखने के लिये पूरी सावधानी बरतते हैं।

51. नवंबर 2009 में हमने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 200 मैट्रिक टन सोना खरीदा। इस लेनदेन में जनता और मीडिया की भारी दिलचस्पी जाग गयी। हाल के वर्षों में हमारे भंडार में काफी वृद्धि होने के बावजूद हमारे स्वर्ण भंडार में वृद्धि नहीं हुई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से की गयी इस खरीद से हमें स्वर्ण-भंडार के प्रतिशत को बढ़ाने में मदद मिली। दूसरा, आपको याद होगा कि 1991 में भुगतान संतुलन संकट की चरमावस्था में हमें संसाधन जुटाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था। आरक्षित आस्ति के रूप में स्वर्ण के रणनीतिक महत्त्व को देखते हुये, हमने एक विश्वसनीय, बहुपक्षीय वित्तीय संस्था से बाजार मूल्य पर एक ही लेनदेन में पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण क्रय करने के अवसर का लाभ लिया।

वित्तीय समावेशन

52. हाल के वर्षों में वित्तीय समावेशन रिज़र्व बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बन गया है। हम सब जानते हैं कि आर्थिक अवसर वित्तीय पहुंच के साथ गहन रूप से अंतरसंबंधित है। ऐसी पहुंच गरीब लोगों के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण होती है क्योंकि यह उन्हें बचत करने, निवेश करने और ऋण का लाभ लेने का अवसर प्रदान करती है। महत्त्वपूर्ण रूप से, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच गरीब लोगों को आय के आघातों से सुरक्षा उपलब्ध कराती है और बीमारी, परिवार में किसी की मृत्यु या रोजगार चले जाने जैसी आपात स्थिति में सहायक होती है।

53. वित्तीय समावेशन गरीबों के लिए अच्छा है। किंतु यह अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है क्योंकि यह गरीबों की बचत को उत्पादक उपयोग में लगाता है। इसे मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा: जब तक वित्तीय समावेशन का सपना साकार नहीं हो जाता तब तक हम विकास की अंतिम सीमा तक नहीं पहुंच सकते।

54. अन्य क्षेत्रों में की गयी अच्छी प्रगति के बावजूद वित्तीय समावेशन के मोर्चे पर की गयी प्रगति असंतोषजनक है। देश में आधे से अधिक परिवारों के बैंक खाते नहीं हैं और जिनके खाते हैं उनमें से बड़ी संख्या में लोग बैंक खातों का सही उपयोग नहीं करते। देश में 6,00,000 निवास स्थानों में से मात्र 30,000 या मात्र 5 प्रतिशत की बैंक शाखा तक पहुंच है। इस दुखद स्थिति को बदलना वित्तीय समावेशन की चुनौती है।

55. यहां रिजर्व बैंक की क्या भूमिका है? वाणिज्यिक क्षेत्र में, इसका अर्थ समर्थनकारी माहौल बनाना, समष्टि विवेकसम्मत दिशा देना,

संभाव्य रूप से अपना दृष्टिकोण और नीतियां भी बदलना ताकि इन्हें लक्ष्यित उद्योगों के कारोबार को बढ़ाने और विस्तार करने के लिए आवश्यक निधि तक पहुंच को सरल बनाया जा सके। व्यक्तिगत उपभोक्ता के क्षेत्र में इसका अर्थ प्रत्येक भारतीय परिवार को बैंकिंग की परिधि में लाने और उन्हें वित्तीय रूप से साक्षर बनने में सहायता प्रदान करने में नये साधन और प्रौद्योगिकी को अपनाना है।

यहां मैं हमारे द्वारा उठाये गये कुछ कदमों की संक्षिप्त सूची देना चाहूंगा:

- हमने बैंकों को सूचित किया है कि वे शून्य या नाममात्र शेष, नो-फ्रिल्स खाते जैसे नये वित्तीय उत्पाद लाकर वित्तीय समावेशन की सहायता की नीतियां अपनायें।
- हम देश के कम बैंकों वाले क्षेत्रों में, विशेष रूप से कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में, वित्तीय सेवा देने की नयी पद्धति के माध्यम से बैंक शाखा विस्तार को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
- हम बिज़नेस कारेस्पांडेंट के नियोजन को सुगम बना रहे हैं - आप उनके संबंध में "नंगे पांव वाले बैंकर" के रूप में विचार कर सकते हैं - ऐसे एजेंट जो बैंकिंग को इस सुविधा से वंचित देहातों और क्षेत्रों तक ले जाते हैं।
- हम हाथ में लेकर उपयोग की जाने वाली मशीनों, मोबाइल फोनों, एटीएम मशीनों, आदि के माध्यम से वित्तीय समावेशन में नवोन्मेष को प्रोत्साहन देने के लिये अपने विनियमों को स्वरूप दे रहे हैं।
- बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों में मार्च 2012 तक ईंट-गारे वाली शाखा या विभिन्न सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित मॉडलों में से किसी के माध्यम से संपूर्ण वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करें।
- हमने बैंकों को सूचित किया है कि वे मार्च 2013 तक की तीन वर्षों की अवधि के लिए बोर्ड-अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना बनायें जो कि बैंक की व्यवसाय योजना के साथ समन्वित होनी चाहिये। सभी बैंकों के लिये एक जैसा मॉडल अनिवार्य नहीं किया गया है ताकि प्रत्येक बैंक अपने व्यवसाय मॉडल और तुलनात्मक लाभ के अनुसार अपनी रणनीति तैयार कर सके।
- हमने बैंकों को प्रोत्साहित किया है कि वे अपने फील्ड स्टाफ के कार्य निष्पादन मूल्यांकन में वित्तीय समावेशन संबंधी उनका कार्य निष्पादन शामिल करें।
- हम राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे "इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण" अपनायें - इसका अर्थ यह है कि सरकार द्वारा लोगों को भुगतान किये जाने वाले सभी लाभ और वेतन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किये जायें।

वित्तीय साक्षरता

56. मैं वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में किये गये अपने प्रयासों की भी संक्षेप में चर्चा करना चाहता हूं। वित्तीय साक्षरता को वित्तीय समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण का समन्वित हिस्सा बनना है। रिज़र्व बैंक में हम वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन को जुड़वां स्तंभ मानते हैं। वित्तीय साक्षरता मांग पक्ष को प्रेरित करती है - लोगों को इस बात के प्रति जागरूक करती है कि उन्हें क्या मिल सकता है और उन्हें क्या मांगना चाहिए। वित्तीय समावेशन आपूर्ति पक्ष से कार्य करता है - लोगों की मांग के अनुसार वित्तीय बाजार उपलब्ध कराता है। जहां हमने पारंपरिक रूप से अनेक आपूर्ति पक्षीय उपायों के माध्यम से वित्तीय सुविधाओं से वंचितों की समस्या पर अधिक ध्यान दिया है ताकि लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जा सके, वहीं हमने मांग पक्षीय अनिवार्यता को पहचानने का प्रयास किया है - यह कि वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता और शिक्षा का विकास होना चाहिए।

57. वित्तीय साक्षरता के विस्तार के लिए रिज़र्व बैंक ने चंडीगढ़, पुणे और बंगलुरू के अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में वित्तीय शिक्षा पर केंद्रित केंद्रों की स्थापना की है। हम अन्य केंद्रों में भी इनकी स्थापना की आशा करते हैं। हमने वाणिज्य बैंकों को प्रोत्साहित किया है कि वे वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्रों की स्थापना करें ताकि लोगों में बेहतर वित्तीय योजना की कार्यकुशलता विकसित होने में मदद मिल सके और वे वित्तीय क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को जान सकें। अधिक महत्त्वपूर्ण रूप से, हम केंद्र और राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे पाठशालाओं और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता का विषय शामिल करें ताकि अगली पीढ़ी वयस्क बनते समय वित्तीय रूप से साक्षर हो।

आउटरीच

58. रिज़र्व बैंक में हम इस बात के प्रति काफी सचेत हैं कि हम अपना दायित्व तभी अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं जब हम लोगों की चिंताओं और समस्याओं को समझ लें। आप रिपोर्ट पढ़कर, सम्मेलन में उपस्थित होकर या बैठकों में सहभागी होकर एक दृष्टिकोण बना सकते हैं। किंतु वास्तव में जाने और देखने से स्थिति अधिक स्पष्ट हो

जाती है। पिछले वर्ष रिज़र्व बैंक ने अपनी प्लेटिनम जयंती मनायी। हमारे समारोह की मुख्य बात आउटरीच कार्यक्रम थी जिसका संभवत: सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव होगा। आउटरीच कार्यक्रम में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के जुड़वा स्तंभों को आगे ले जाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस प्रयास के पीछे एक संस्था के रूप में रिज़र्व बैंक का उद्देश्य देश के सामान्य लोगों के साथ जुड़ना था। देश के देहातों तक के इस भ्रमण में हम सब शामिल थे - हमारे उप गवर्नर, कार्यपालक निदेशक और मैं - ये गांव मुख्य सड़क से दूर, शहरी प्रभाव से दूर और बैंक रहित थे - यहां हम देखना चाहते थे कि जमीनी स्तर की संस्थाएं - स्व-सहायता महिला समूह, व्यष्टि वित्त संस्थाएं, गैर-सरकारी संगठन, ग्रामीण सहकारी संस्थाएं, क्षेत्रीय और प्रमुख वाणिज्य बैंकों की ग्रामीण शाखाएं किस प्रकार कार्य करती हैं और ग्रामीण भारत की प्राथमिक आशाएं और आकांक्षाएं क्या हैं। इसके साथ ही, हमें यह अवसर मिला कि हम उन्हें बतला सकें कि रिज़र्व बैंक क्या कार्य करता है और उससे उनके दैनिक जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है।

59. आउटरीच कार्यक्रमों का हमारा अनुभव काफी अच्छा रहा है - बौद्धिक रूप से संतुष्टि देने वाला भावनात्मक रूप से परिपोषक और व्यावसायिक रूप से दृष्टि-विस्तारक। इसके महत्त्व को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि हम इसे एक स्थायी कार्यक्रम के रूप में जारी रखेंगे। इसके प्रति मेरी प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में, पिछले एक वर्ष में, मैं झारखंड और छत्तीसगढ़ के देहातों में गया था। इस सप्ताह मैं उड़ीसा के एक गांव में जा रहा हूं। मार्च में केरल के एक गांव में जाऊंगा।

समापन

60. मैंने आपको यह जानकारी देने का प्रयास किया है कि रिज़र्व बैंक के मुख्य दायित्व क्या हैं और हम किन चुनौतियों का सामना करते हैं। मुझे आशा है कि इससे आप समझ गये होंगे कि रिज़र्व बैंक किस प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में परिवर्तन लाता है - भले ही अधिकांश समय आप इससे जुड़े नहीं होते हैं।

61. दीक्षांत भाषणों की सर्वोत्तम परंपराओं के अनुरूप मैं अपनी बात का समापन आपको कुछ सलाह देकर करना चाहूंगा। हम सब, पूरे समय, अपने समुदाय, अपने समाज और अपने देश में जो बुराइयां हैं उनकी शिकायत करते रहते हैं। हम बातों को बदलना चाहते हैं। मात्र "चाहना" ही काफी नहीं है। हम सभी को परिवर्तन का माध्यम बनने की आवश्यकता है। और जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि हम जैसा परिवर्तन चाहते हैं वैसा पहले हमें स्वयं को बदलना चाहिये। मैं यह कह सकता हूं कि अब जबकि आप वास्तविक दुनिया में उपाधि-धारक के रूप में जा रहे हैं तो आप वहां जाकर परिवर्तन लाइये और इस प्रक्रिया में संबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रोशन कीजिये।